न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 86/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88.53 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. बुधसिह
2. नक्षत्र सिह
3. बसंत सिह

पि. गजनसिह जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी भाखरावाली तह.संगरिया।

4. गुरदेव सिंह
5. गुरबक्श सिह
6. सुखदेव सिह

पि.मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।

7. जगवीर सिह
8. बलवीर सिह
9. महावीर सिह

पि.कौर सिंह जाति जटसिख नि.हरिपुरा तहसील संगरिया।

10. सोहनसिह पुत्र लाल सिह जाति जटसिख निवसी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीचन्द पौत्र कुम्भाराम जाति कुम्हार (प्रतापत) निवासी भाखरावाली हाल आबाद चक 2 आरएसएम ग्राम पंचायत देसली घडसाना जिला श्रीगंगानगर राज.
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री जसवीर सिह अधिवक्ता — वादीगण

अधिवक्ता वादीया द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी सं. 1 ता 3 आपस में, वादी सं. 4 ता 6 आपस में तथा वादी सं. 7 ता 9 आपस में सगे भाई हैं एवं वादी सं. 10 सहखातेदार—काश्तकार है और प्रति. सं.1 उक्त चक 3 एसटीपी के उक्त खाता सं. 26/10 के खातेदार मृतक कुम्भाराम पुत्र रामधन जिसका नाम खाता में बोगस रूप से दर्ज चला आ रहा है उसका पौत्र एवं वैध प्रतिनिधि है। तहसील संगरिया के चक 3 एस.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2073—76 के खाता सं. 26/10 मुश्तरका खाता कुल योग 5.060 है. में वादी सं. 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1.265 है., वादी सं. 4 व 5 प्रत्येक के नाम 0.263 है., वादी सं. 6 के नाम 0.264 है., वादी सं. 7 ता 9 प्रत्येक के नाम 0.079 हि., वादी सं. 10 के नाम 0.237 हि. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादीगण द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा है। खाता की चालू जमाबंदी व बैयनामा की प्रति वाद—पत्र के साथ संलग्न है तथा खाता में दर्ज कुल कृषि भूमि का विवरण वाद—पत्र की चरण सं. 3 में उल्लेखित किया गया है। यह कि वाद—पत्र की चरण सं. 3 में उल्लेखित कृषि भूमि के संबंध में वादीगण ने आपस में अच्छी—मंदी भूमि के आधार पर रास्ता खाला व जोत काश्त की सुविधा एवं जोत एकीकरण को ध्यान मे रखते हुए अर्सा पूर्व घरू विभाजन कर लिया था उक्त घरू विभाजन के अनुसार ही

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर लगातार बिना किसी विघ्न बाधा के शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। आधिपत्य के संबंध में कोई वाद विवाद नहीं है। चक 3 एस.टी.पी. के उक्त खाता सं. 26/10 में दर्ज भूमि में वादीगण उनके दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के दादा कुम्भाराम का नाम व हिस्सा कलमजन किया जाकर खाता दुरूस्त किया जावे। मुताबिक घरू विभाजन निम्नानुसार कृषि भूमि वादीगण के आधिपत्य एवं धारण में है।

(क) वादी सं.1 बुधसिंह 1.265 हि., वादी संख्या 2 नक्षत्रसिंह 1.265 हि., वादी सं.3 बसंतसिंह 1.265 हि. पि. गजनसिंह के कब्जा की भूमि –

चक 3 एस.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 26/10

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
180/116	1	25/.253 है.
180/117	8	4/.253 है., 5/1/.228 है.
		5/2/0.025 है. गै.मु. खाला
		6/1/.228 है.,
		6/2/0.025 है. गै.मु. खाला
		7/.253 है.
181/116	2	21, 22/.253 है.प्र.
181/117	7	1, 2/.253 है. प्र.
		8 ता 10/.253 है. प्र.
		12 ता 14/.253 है. प्र. कुल 3.795 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) वादी सं.4 गुरदेवसिंह 0.263 हि., वादी सं.5 गुरबक्शसिंह 0.264 हि., वादी सं.6 सुखदेवसिंह 0.264 हि. पि. मुखत्यारसिंह व वादी सं. 7 जगवीरसिंह 0.079 हि., वादी संख्या 8 बलवीरसिंह 0.079 हि. वादी संख्या 9 महावीरसिंह 0.079 हि. पि. कौरसिंह तथा वादी सं. 10 सोहनसिंह पुत्र लालसिंह 0.237 हि. के कब्जा काश्त की भूमि –

चक 3 एस.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 26/10

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
181/116	2	23, 24/.253 है.प्र.
181/117	7	3, 4, 7/.253 है. प्र.

कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि वाद–पत्र की चरण सं.4 में उल्लेखित वादीगण के आधिपत्य की कृषि भूमि सांझे खातों में दर्ज होने के कारण एवम् वादीगण के कब्जा–काश्त अनुसार हिस्सा में दर्ज नहीं होने के कारण कृषि भूमि की सीमा, रास्ता, खाला इत्यादि को लेकर विवाद होने का अंदेशा रहता है। खाता में वादीगण हिस्सा व खाता की कृषि भूमि के योग में अन्तर आने के कारण उक्त कृषि भूमि का खाता अपवादित खाता की श्रेणी में आ गया है। जिस कारण वादीगण सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि विकास की योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं। इस प्रकार वादीगण को घरू विभाजन में प्राप्त वादीगण के आधिपत्य की कृषि भूमि जिसे वादीगण निरन्तर बिना किसी विघ्न बाधा के काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण की उक्त कृषि भूमि का खाता अलग से कायम होकर रकमराज अलग कायम नहीं हुआ एवं वादीगण की कब्जा–काश्त अनुसार खाता में हिस्सा दर्ज नहीं हुआ तो वादीगण के खातेदारी अधिकारों का उल्लघंन एवं उनके साथ कुठाराघात हो रहा है जिससे वादीगण को अपरिमेय क्षतिकारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है। कि विगत सप्ताह वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वाद–पत्र की चरण सं.4 में उल्लेखितानुसार उपचरण (क) व (ख) के अनुसार वादीगण के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

एक व हिस्सा तथा आधिपत्य की कृषि भूमि के वादीगण को खातेदार–काश्तकार होना मान लेवें तथा इसी अनुसार वादीगण को उक्त घरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का खाता अलग कायम करवा रकमराज अलग कायम करवा देवें। वादीगण के इस निवेदन पर प्रतिवादीगण पहले तो आजकल का कहते हुए टालमटोल करते रहे अन्ततः वादीगण के इस निवेदन को मानने से कतई इनकार हो गया। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही आया। वादीगण ने फार्म नम्बर 3 के साथ कुम्भाराम वल्द रामधन के बैयनामों की प्रतियॉ मय चक 3 एसटीपी के इन्तकाल की प्रतियॉ प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 बुधसिह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीदशुद्वा है जिसकी तस्दीक बैयनामों/इन्तकाल से हो रही है एवं वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 3 एसटीपी खाता संख्या 26/10 खाता कुभाराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में वादी सं. 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1.265 है., वादी सं. 4 व 5 प्रत्येक के नाम 0.263 है., वादी सं. 6 के नाम 0.264 है., वादी सं. 7 ता 9 प्रत्येक के नाम 0.079 हि. वादी सं. 10 के नाम 0.237 हि. कृषि भूमि नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत अमलाजी पर वादीगण घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। वाद पत्र में कोई विरोध नही होने के कारण वादीगण खाता विभाजन के अधिकारी है। अतः वाद की दफा 4 में वर्णित खाता विवादित है एवं वादीगण ने कुम्भाराम वल्द रामधन के बैयनामों की प्रतियॉ मय चक 3 एसटीपी के इन्तकाल मुताबिक कुम्भाराम ने अपने हक हिस्सा भूमि का बैचान वादीगण को कर दिया है इसलिए वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :–

(क) वादी सं.1 बुधसिंह 1.265 हि., वादी संख्या 2 नक्षत्रसिंह 1.265 हि., वादी सं.3 बसंतसिंह 1.265 हि. पि. गजनसिंह के कब्जा की भूमि –

चक 3 एस.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 26/10

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
180/116	1	25/.253 है.
180/117	8	4/.253 है., 5/1/.228 है.
		5/2/0.025 है. गै.मु. खाला
		6/1/.228 है.,
		6/2/0.025 है. गै.मु. खाला
		7/.253 है.
181/116	2	21, 22/.253 है.प्र.
181/117	7	1, 2/.253 है. प्र.
		8 ता 10/.253 है. प्र.
		12 ता 14/.253 है. प्र.
		कुल 3.795 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

31/7

महायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ब) वादी सं. 4 गुरदेवसिंह 0.263 हि.,वादी सं. 5 गुरबक्शसिंह 0.264 हि., वादी सं. 6 सुखदेवसिंह 0.263 हि. पि. मुखत्यारसिंह व वादी सं. 7 जगवीरसिंह 0.079 हि., वादी संख्या 8 बलवीरसिंह 0.079 हि. वादी संख्या 9 महावीरसिंह 0.079 हि. पि. कौरसिंह तथा वादी सं. 10 सोहनसिंह पुत्र लालसिंह 0.237 हि. के कब्जा काश्त की भूमि – चक 3 एस.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 26/10

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
181/116	2	23, 24/.253 है.प्र.
181/117	7	3, 4, 7/.253 है. प्र.
		कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि

अतः रिकार्ड दुरूस्त कर उक्तानुसार वादीगणों का खाता अलग–अलग कायम कर सजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी हो।

निज.....X.....मुब्लिक.....X.....बाबत.....X.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....X.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31.7.2023 .....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

31/7/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सांगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88,53 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 86/2023

1. बुधसिह
2. नक्षत्र सिह
3. बसंत सिह

पि. गजनसिह जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी भाखरावाली तह.संगरिया।

4. गुरदेव सिंह
5. गुरबक्श सिह
6. सुखदेव सिह

पि.मुखत्यार सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया।

7. जगवीर सिह
8. बलवीर सिह
9. महावीर सिह

पि.कौर सिंह जाति जटसिख नि.हरिपुरा तहसील संगरिया।

10. सोहनसिह पुत्र लाल सिह जाति जटसिख निवसी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीचन्द पौत्र कुम्भाराम जाति कुम्हार (प्रतापत) निवासी भाखरावाली हाल आबाद चक 2 आरएसएम ग्राम पंचायत देसली घडसाना जिला श्रीगंगानगर राज.
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीर सिह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री ..... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती हैः–

वादी सं. 1 बुधसिंह 1.265 हि., वादी संख्या 2 नक्षत्रसिंह 1.265 हि., वादी सं. 3 बसंतसिंह 1.265 हि. पि. गजनसिंह के कब्जा की भूमि –

चक 3 एस.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 26/10

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
180/116	1	25/.253 है.
180/117	8	4/.253 है., 5/1/.228 है.
		5/2/0.025 है. गै.मु. खाला
		6/1/.228 है.,
		6/2/0.025 है. गै.मु. खाला
		7/.253 है.
181/116	2	21, 22/.253 है.प्र.
181/117	7	1, 2/.253 है. प्र.
		8 ता 10/.253 है. प्र.
		12 ता 14/.253 है. प्र.
		कुल 3.795 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

(ख) वादी सं.4 गुरदेवसिंह 0.263 हि., वादी सं.5 गुरबक्शसिंह 0.264 हि., वादी सं.6 सुखदेवसिंह 0.263 हि. पि. मुखत्यारसिंह व वादी सं. 7 जगवीरसिंह 0.079 हि., वादी संख्या 8 बलवीरसिंह 0.079 हि. वादी संख्या 9 महावीरसिंह 0.079 हि. पि. कौरसिंह तथा वादी सं. 10 सोहनसिंह पुत्र लालसिंह 0.237 हि. के कब्जा काश्त की भूमि – चक 3 एस.टी.पी. जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 26/10

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
181/116	2	23, 24/.253 है.प्र.
181/117	7	3, 4, 7/.253 है. प्र.
		कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि

अतः रिकार्ड दुरूस्त कर उक्तानुसार वादीगणों का खाता अलग–अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत्.....X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....X.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....31.7.2023.....को जारी किया गया।

31/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया